

नन्द लाल सिंह
पी०सी०ए०स०
कुलसचिव



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र०
सेवटर-११, जानकीपुरम विरतार योजना, लखनऊ-२२६०३१

पत्रांक:-१०पी०१०१०४० / कुराता०० / राता०० / २०१९ / १०९४ / १०८

दिनांक: १५ मई, २०१९

College Code 908

सेवा में
निदेशक / प्राचार्य,

Noida Institute of Engg. & Technology(Pharmacy Institute),Gaulam Buddh Nagar

19, Knowledge Park-II, Institutional Area, Greater Noida - 201306 , Gautam Buddha Nagar

दिव्यय: ईंसिक सत्र 2019-20 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि अधिकारीय संकायी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा सत्र 2019-20 हेतु आपके संस्थान को प्रशान्ति की मान्यता पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति/उ०प्र० शायान की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा विद्यारोपणात्मकी गई संस्थानियों एवं इन संस्थानियों के क्रम में निर्भता शासनादेश राज्या 1538/रायह-१-२०१९-१३(१)/२०१८ दिनांक 15.05.2019 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवालीत डारा प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मात्रा कार्यपरिषद से अनुमोदन के अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी की प्रत्याशा में सम्बद्धता को निर्माणित विवरण के अनुसार व्यवित प्रोफिट योजना द्वारा अस्थायी की सम्बद्धता की रखी रखी प्रदान की जाती है।



Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
B.Pharm	Bachelor of Pharmacy	Shift I	100	100	100	100
M.Pharma	Pharmaceutics	Shift I	12	15	15	15
M.Pharma	Pharmacology	Shift I	12	15	15	15
M.Pharma	Pharmaceutical Chemistry	Shift I	12	15	15	15

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है-

- संस्थान द्वारा अधिकारीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, नूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए एवं संविधित कार्डसिल आफ इपिड्या/कार्डसिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा प्राप्तयक्त संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संविधित कार्डसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी निर्माणित करने की रिक्ति ने संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता रखता निररत रामङ्गी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/होमियोग्राफी की होगी।
- निरीक्षण भण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं संसायोजित शिक्षकों के संस्थापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी नी समय किया जा सकता है।
- बी.फार्म./एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क./एम.आर्क.पाठ्यक्रम संवालित करने वाले संस्थानों को कार्डसिल आफ इपिड्या/कार्डसिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा प्राप्तयक्त संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संविधित कार्डसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी निर्माणित करने की रिक्ति ने संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वयं संस्थान/होमियोग्राफी की होगी। संस्थान द्वारा निर्माणित मानकों की पूर्ण न करने वाली दशा में एवं अभावशिप एवं पी.सी.ओ.ए.प्राप्त किया जाना अनियाद्य होगा। संस्थान द्वारा निर्माणित मानकों की पूर्ण न करने वाली दशा में एवं अभावशिप एवं पी.सी.ओ.ए.प्राप्त किया जाना अनियाद्य होगा। संस्थान द्वारा निर्माणित मानकों की पूर्ण न करने वाली दशा में एवं अभावशिप एवं पी.सी.ओ.ए.प्राप्त किया जाना अनियाद्य होगा। संस्थान द्वारा अनुमोदन प्रवेश करना से आविक प्रवेश लेने वाली दशा में एवं विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वयं संस्थान/होमियोग्राफी की होगी।
- संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालग्न सुनिश्चित करना तथा शुल्क निर्धारण रामिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य कीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान प्राविधिक विभाग/प्रशिक्षण से सम्बद्धता शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से जापनक्य करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अंकेशाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्थान को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आगलाइन आयोदय के रामय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जाना करने वाले हों तो रिक्ति नी प्रवाली की दृष्टि शासन/विश्वविद्यालय के संबंधान में आती है तो संस्था को संवधी शुल्क न जाना करने वाले हों तो रिक्ति नी प्रवाली की दृष्टि शासन/विश्वविद्यालय के संबंधान में आती है।
- विश्वविद्यालय में प्रवतीत उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विभिन्न 2010 के अध्याय-६ (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधिकों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की रिक्ति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्थान 10 जून, 2019 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उरो अनुमन्य प्रवेश धारता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित
- संस्थान 10 जून, 2019 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उरो अनुमन्य प्रवेश धारता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित

संख्या में, निर्धारित अहंता धरता शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य वर्गी नियुक्ति गूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा ध्ययन से सम्बन्धित समस्त अधिकारी विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा। एवं इस आशय का नाटराइज़्ल शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों वर्गी नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके रखत्र त्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूटरचना/विसंगति पायी जाती है तो संख्यान को प्रदर्श अरथात् रामबद्धता रखतः निरस्त रामडी जायेगी। शिरका राम्भूर्ण उत्तरदायित्व रवयः संस्थान का होगा।

8. कठिपय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अग्रिम्भित/नवीन ग्राहणग्रम प्रारम्भ वर्गी वर्गी स्वीकृति इस रार्टों को साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार अवस्थापना एवं मानव संसाधन इत्यादि सुविधाओं का रथलीय निरीक्षण काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के ब्रूम में ही सत्र 2019–20 में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकेगी।
9. सत्र प्रारम्भ होने के समस्त संस्थान के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन–माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन वर्गी कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम: 6.15)
10. सत्र 2019–20 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यसंसाधन शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में लिलिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान विना विश्वविद्यालय की गिरिष्ठ अनुमति के सेवा रो निकाला नहीं जा सकेगा।
11. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संख्या में कार्यसंसाधन शिक्षकों द्वारा संख्या छोड़ने की विधि में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम: 6.18)
12. शैक्षिक एवं शिक्षणों संस्थान के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की विधि में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25वीं)
13. लैंब एवं उसके उपकरणों की राम्भूर्ण विवरण संख्या के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.13)
14. संस्थान की समस्त सूचनाएं संख्या के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.16)
15. रांख्यान द्वारा छात्रों वां लिये गये शुल्क वर्गी सूचना संख्या द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संख्या के सूचना पट पर अवश्य चरसा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को समस्त उपलब्ध घरानों जायेगी। अन्यथा संख्या संख्या के विस्तृद्वय गिरिष्ठ कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
16. अखिल भारतीय संकरीकी शिक्षा परिषद वर्गी गान्धीता समाप्त होने या नियस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुभोदन रखतः नियस्त हो जायेगा।
17. कार्मसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन कार्मसी काउन्सिल आफ उपिडगा/आर्किटेक्चर काउन्सिल आफ इपिडगा (एसा लागू) से सत्र 2019–20 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आद्यत वर्गी जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की कारंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय की अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता अपेक्षा अपाप्त रहने वाली दशा में संख्यानों को प्रदर्श अख्याई सम्बद्धता रखतः नियस्त समझी जायेगी। संख्यान मान्यता प्राप्त न होने वाली दशा में कार्मसी तथा वास्तुकला की समस्त यात्र्याग्नों में शरण्यान सत्र 2019–20 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो कारंसिलिंग और न ही अपने दशर से सीधे रिक्त रीट या प्रदर्शकोंय स्टोट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
18. संख्यान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औंचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औंचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के भावेष कार्यों के दृष्टिकोण सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
19. जिन संख्यानों की अभावशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय रतर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संख्यानों वां रामबद्धता, तदकार्यवाही के अधीन होगी।
20. संख्यान द्वारा प्रवेश गं उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संख्याओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए अरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश गान्धीयों एवं अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त फिरी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शारानादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
21. विभिन्न संघर्षों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के रायबन्ध गं शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संख्यान द्वारा सुनिश्चित किया जाए। यदि संख्यान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी रामबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
22. संख्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संख्यान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों वां वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/जोनेशन लिए की शिक्षाप्राप्ति पर विश्वविद्यालय द्वारा संख्या की रामबद्धता समाप्त करने एवं संख्या को "Black List" करने की कार्यवाही की जायेगी।
23. AMS (Academic Monitoring System) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या ३०५०प्रा०षि०/कुस० का०/२०१४/४४१४-२१ दिनांक ११.०७.२०१४ के अनुपालन वर्गी अनिवार्यता होगी।
24. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा रांची कार्यों हेतु संख्यान के शिक्षकों एवं शिक्षणों कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करयाना, संख्यान का दायित्व होगा। संख्यान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणों कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त बनाए रखें। कठिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संख्यान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुभोदन प्राप्त किया जाना

25. विगत सालों सब्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की ज्यून संख्या, भागीदारी अपेक्षित संख्या में ज्यून संख्या में उपलब्ध आई शिक्षाकोष एवं पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के लाइफ कारेपाय संख्याओं को संपीकृत प्रवेश सम्भव का एक निश्चय प्रसिद्ध कर गवाहन सब्र विश्वविद्यालय द्वारा नमीकरण की जाएगी।
26. पाठ्यक्रम विशेष में सम्बद्धता को सम्बित लगाना को नामना सम्बद्धता विवरण की तालिका के सामने 5 या 6 (यथा लागु) में सामने 7 के मुक्त रूप से घटा कर बापा को जा सकती है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विभिन्न अध्ययन संस्थान के लोचक निरीक्षण में निरीक्षा प्रकार की कनिष्ठा पार्षी जानकी विधि में संतुष्ट की अस्थाई रामबद्धता रखते; निरस्त रामशी जायेंगी, जिसका साधूर्ण उत्तरदायित्व रूप संस्थान/प्रबन्धालय का होगा।

(नव लग्जरी लिंक)
कुलसंघिय

पृष्ठांकन संख्या ए दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को न्यूनतर एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्यालय, नाम सुलभाधेपति/ व्री. राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. सचिव, प्राधिकार लिंगा दिनांक, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अधिकारी भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।